देश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
9/3/19	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिटेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–55/2018** सरोजिका महापात्रा –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में निरसा अंचल अन्तर्गत मौजा–केशरकुरल, थाना नं0–239, खाता नं0–46, प्लॉट नं0–1361/3, 1362/1, कुल रकवा– 0.0210 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक स्वंय उपस्थित होकर मौखिक एवं लिखित पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि गया है कि NHAI द्वारा 16 फीट भूमि अधिग्रहण किया गया है, जबकि नोटिश 6 फीट भूमि का निर्गत किया गया है तथा मुआवजा राशि 6 फीट का ही दिया गया है। 10 फीट का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस कार्यालय का पत्रांक–5204/रा0, दिनांक–31.12.18 स्मार पत्रांक–683/रा0, दिनांक–13.02.19, 998/रा0, दिनांक–05.03.19 एवं पत्रांक–1967/रा0, दिनांक–18.06.19 के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं परियोजना निदेशक, NHAI, दुर्गापूर से कितनी भूमि अधिग्रहण किया गया है तथा NHAI द्वारा कितनी भूमि/संरचना तोड़ा गया है। इस संबंध में साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद से वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है। परियाजेना निदेशक, NHAI दुर्गापुर (वर्द्धमान) का पत्रांक–863, दिनांक–15.05.19 के द्वारा श्री सुजय कुमार मुखर्जी को प्रेषित पत्र की छायाप्रति NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि प्लॉट नं0–1361 एवं 1362, रकवा कमशः 0.0235 एकड़ एवं 0.0277 एकड़, कुल रकवा–0.0512 एकड़ भूमि भू–अर्जन वाद सं0–51/2013–14 के तहत EROW(Existing Right of way) के अनुसार 08 फीट ही भूमि अर्जन (Acquired) किया गया है। जिसका मुआवजा राशि भू–अर्जन कार्यालय द्वारा भुगतान किया जा चुका है। पुनः अतिरिक्त भूमि प्लॉट नं0–1361 एवं 1362, रकवा कमशः 0.0704 एकड़ एवं 0.0988 एकड़ अर्जन किया जा रहा है, जो 3(A) एवं 3 (D) गजट अधिसूचना (Gazette Notification) प्रकाशन हो चुका है। प्रकियाधीन है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद/NHAI को निदेश दिया जाता है कि अतिरिक्त भूमि का अर्जन की प्रकिया नियमानुसार पूर्ण करते हुए आवेदक को देय मुआवजा राशि निर्धारित दर पर भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। 9/3/19 अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। लेखापित एवं संशोधित। 9/3/19 अपर समाहर्त्ता, –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद।	

Scanned with CamScanner